मेरठ विकास प्राधिकरण

की

25वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 30-1-85

का

कार्यवृत्ता

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 30-1-85

समय : प्रात: 11 बजे

स्थान : "सभा कक्ष" विकास भवन,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

उपस्थिति :

1-	श्री वी०के०गोस्वामी	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री सुरेश चन्द्र रस्तोगी	उपाध्यक्ष/प्रशासक	उपाध्यक्ष
3-	श्री एल०आर०सिंह	जिलाधिकारी, मेरठ ।	सदस्य
4-	श्री एच०के०शर्मा	वरिष्ठ नियोजक	सदस्य
5-	श्री जे०ए०जोशी	एस०ई०,जलनिगम,मेरठ ।	सदस्य
5-	श्री के०एल०गुप्ता	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	सदस्य

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण के निम्न अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे :-

1- श्री दुर्गेश जोशी, सचिव
2- श्री एस०सी०माथुर, संयुक्त सचिव
3- श्री टी०पी०गुप्ता, मुख्य लेखाधिकारी
4- श्री बी०के०अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता
5- श्री जगेश कुमार, सहायक वास्तुविद
6- श्री यशपाल सिंह, सहायक वास्तुविद
7- श्री अरविन्द रस्तोगी, सहायक वास्तुविद

कार्यवृत्त का विवरण:-

मद संख्या - 1

गत बैठक दिनाँक 18-9-84 की कार्यवाही की पुष्टि ।

गत बैठक दिनाँक 18-9-84 का कार्यवृत्त पुष्टि के लिये प्रस्तुत किया गया । विचार -विमर्श के उपरान्त इस कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

मद संख्या - 2

बैठक दिनाँक 18-9-84 की कार्यवाही का अनुपालन।

2.6 जल निगम के कार्य के सम्बन्ध में यह बताया गया कि कार्य समयबद्ध रुप से नहीं कराया जा रहा है । अब तक की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है । अधीक्षण अभियन्ता श्री जोशी का यह कहना था कि उनको सडक एलाईनमेन्ट का मानचित्र नहीं दिया गया है तथा मौके पर भी सीमांकन नहीं किया गया है । प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता श्री वी०के०अग्रवाल ने बताया कि मौके पर सीमांकन कर दिया गया है । श्री जोशी ने कहा कि वह पीने के पानी की पाईप लाईन 15 मार्च तक डाल देंगे तथा पम्पस को भी चालू कर देंगे । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस कार्य को फरवरी माह के अन्त तक सम्पन्न कराया जाये तथा उसकी सूचना उन्हें दी जाये एवं नाले व नालियों के निर्माण का कार्य प्राधिकरण स्वयं करें ।

13) विकास क्षेत्र की सीमा बढाने का प्रकरण जोकि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित किया था उनका अनापत्ति पत्र प्राप्त होने पर प्राधिकरण के समक्ष रखा गया जिसकी स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा प्रदान कर दी गयी ।

14) अध्यक्ष महोदय ने महापालिका द्वारा की गयी इस समय सडकों की मरम्मत के सन्दर्भ में कहा कि नगर की दो मुख्य सडकों पर जो जिलाधिकारी ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से परामर्श करके प्रशासक, नगर महापालिका को अवगत करायेंगे, दो किलोमीटर तक डेंस कारपेटिंग करा दी जाये ।

3- सचिव ने प्राधिकरण को विधिक स्थिति से अवगत कराया और यह बताया कि शासन द्वारा ड्राफ्ट बाईलॉज में फ्रन्ट सैट बैक के उल्लघन के शमन की व्यवस्था की गयी है । यह निर्णय लिया गया कि जो शासन द्वारा बाईलॉज बनाये गये हैं उन्हीं को प्राधिकरण भी स्वीकार कर लें ।

4- प्राधिकरण के सदस्यों को स्थिति से अवगत कराया गया । सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि प्राधिकरण की अगली बैठक में इस बिषय पर निर्णय लिया जायेगा और इस बीच अन्य प्राधिकरणों द्वारा जो प्रक्रिया अपनायी जा रही है उसका भी अध्ययन कर लिया जाये ।

6- प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा इस बिन्दु पर विचार-विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी विभागों को जो भूमि व्यवसायिक क्षेत्र में दी जायेगी, वह व्यवसायिक दर पर अर्थात साधारण दर से दुगुने पर दी जायेगी और आवासीय क्षेत्र में साधारण दर पर दी जायेंगी ।

11- प्राधिकरण के सदस्यों को स्थिति से अवगत कराया गया और यह बताया गया कि प्रगतिशील पत्रकार परिषद द्वारा अभी तक पंजीकरण हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अत: यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर प्राधिकरण की अगली बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाये ।

13- प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा इस बिन्दु पर विचार - विमर्श किया गया तथा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की भूमि को अर्जन से मुक्त करना सम्भव नहीं है ।

मद संख्या -3

भूमि अर्जन का प्रस्ताव ।

गढ मुक्तेश्वर मार्ग पर स्थित ग्राम औरंगाशाहपुर डिग्गी, परगना व तहसील व जिला मेरठ की लगभग 14 एकड भूमि आफिसर्स होस्टल हेतु मेरठ शहर में साकेत मार्ग पर स्थित बाग मदरसा ग्राम कस्बा, मेरठ, परगना व तहसील तथा जिला मेरठ की लगभग 12 एकड भूमि और अब्दुल्लापुर व कसेरु बक्सर, परगना मेरठ की 1200 एकड भूमि के अर्जन प्रस्तावों की प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी तथा मेरठ - गढ मुक्तेश्वर मार्ग एवं आबू नाले के बीच का भाग जो मेरठ महायोजना में व्यवसायिक उपयोग हेतु दर्शाया गया है, के विकास के लिये 60 एकड भूमि के अर्जन की स्वीकृति भी प्रदान की गयी । इस प्रकार नगर के विभिन्न स्थानों में उपलब्ध इस भूमि पर जो व्यवसायिक प्रयोजन हेतु काम आ सके महापालिका से सहयोग कर व्यवसायिक केन्द्रों एवं भवनों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया ।

नगर के विभिन्न स्थानों में जो खाली भूमि उपलब्ध है उसमें ई० डब्ल्यू०एस० के भवनों का निर्माण स्लम क्लीअरेन्स अथवा अन्य विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत करने के अर्जन प्रस्ताव की स्वीकृति भी प्रदान की गयी जिससे सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण की सम्भावना कम हो सके ।

डेरी व्यवसाय में संलग्न लोगों के लिये कुछ सुनियोजित कालोनियाँ बनानी उचित प्रतीत होती है जिनमें 400 परिवारों एवं 10000 पशुओं को बसाने की व्यवस्था प्रस्तावित है तथा जिसमें गोबर गैस प्लान्ट चरागाह, दुग्ध एकत्रीकरण तथा दुग्ध शीतन आदि की भी व्यवस्था हो । इस कार्य हेतु 120 एकड भूमि जोकि महायोजना के आउटर बाईपास मेरठ गढ मुक्तेश्वर मार्ग पर काली नदी के किनारे 150 फुट चौडे मार्ग पर स्थित है, की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

मेरठ शहर में हथकरघा उद्योग कार्य हेतु एक स्वतन्त्र कालोनी की स्थापना की आवश्यकता को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा इस कालोनी में 2000 परिवारों के आवास तथा कार्य स्थल एवं मण्डी की व्यवस्था हेतु हापुड रोड पर ग्राम काजीपुर घोसीपुर क्षेत्र के समीप लगभग 480 एकड भूमि अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

मद संख्या - 4

दुर्बल आय वर्ग भवनों हेतु हडको से ऋण प्राप्ति का संकल्प ।

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का मत था कि प्राधिकरण इस संकल्प के फलस्वरुप ऋण प्राप्ति के समय समस्त वित्तीय पेचींदगियों को दृष्टिगत करते हुए अपने वित्तीय हितार्थ ही ऋण लें । प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा इस बिषय पर विचार - विमर्श होने के उपरान्त यह संकल्प स्वीकार किया गया ।

मद संख्या - 5

नियोजन सम्बन्धी प्रकरणों पर विचार ।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा इस बिषय पर विचार - विमर्श हुआ और अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया कि यदि प्लाट को छोटा करने की अनुमति प्राधिकरण द्वारा दी जाती है तो इससे प्राधिकरण को कुछ लाभ होना चाहिए । इस सम्बन्ध में टाऊन प्लानर से भी सुझाव माँग लिये जायें और इनको अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

मद संख्या -6

संशोधित बजट 1984-85 तथा मूल बजट 1985-1986 की स्वीकृति।

उपाध्यक्ष ने बजट पढकर सुनाया। गत बर्ष की अपेक्षा आय में 300 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है।

पंजीकरण से आय के बिषय में संयुकत सचिव, वित्त विभाग द्वारा यह व्यक्त किया गया कि जो 65 लाख रुपये आय बर्ष 84-85 में प्रस्तावित है वह अधिक प्रतीत होती है । प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि इस बर्ष स्वयं वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत भवनों की स्कीमें 26 जनवरी से प्रारम्भ कर दी गयी हैं (अल्प आय वर्ग के भवनों की योजना भी इसी बर्ष प्रारम्भ की जानी है ।) ई०डब्ल्य०एस० के भवनों का भी पंजीकरण होना है। इन सभी योजनाओं से 65 लाख रुपये की आय होनी सुनिश्चित है और अगले बर्ष भी एक करोड रुपये की आय सम्भावित है। इस पर प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा सन्तोष व्यक्त किया गया।

उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण के सदस्यों को अवगत कराया कि बजट के साथ नत्थी ब्याख्यात्मक टिप्पणी में आय-व्यय के प्रत्येक मद के औचित्य के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण दिया गया हैं इस विवरण की समीक्षा के पश्चात सदस्यों द्वारा बजट अनुमानों के बारे में सन्तोष व्यक्त किया गया।

विकास कार्यों के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण के सदस्यों को अवगत कराया कि यह कार्य गत बर्ष में पिछड गया है और स्थिति यह है कि पल्लवपुरम आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग के भवन बनकर तैयार हो गये है और उनका आबंटन भी सम्पन्न हो गया है परन्तु विकास कार्य अभी बहुत पीछे है इसके लिये प्रयास किया जा रहा है कार्य समयबद्ध रुप से सम्पन्न किया जाना आवश्यक है।

अन्त में संशोधित बजट 1984-85 तथा मूल बजट 85-86 प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 7

नये पदों का सृजन।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पद वेतनमान 850-1720 की स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी तथा भूमि अध्याप्ति विभाग की स्थापना हेतु निम्न पदों की स्वीकृति भी प्रदान की गयी। :-

क्र०सं०	पद	संख्या	वेतनमान
1-	नायब तहसीलदार	1	570-1100
2-	लेखपाल	2	330-495
3-	सर्वेअर	2	340-550
4-	लिपिक	2	340-550

सम्पत्ति अनुभाग द्वारा माँगे गये अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पद की आवश्यकता के औचित्य का पूर्ण विवरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विक्रय एवं अभिलेख अनुभाग हेतु निम्न पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी:-

क्र०सं०	पद	संख्या	वेतनमान
1-	नायब राजस्व मुहर्रिर (विक्रय)	2	340-550
2-	नायब राजस्व मुहर्रिर (अभिलेख)	1	340-550

अभियन्त्रण अनुभाग के लिये एक अतिरिक्त अभियन्त्रण खण्ड हेतु वे सभी पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक इकाई की स्थापना के लिये स्वीकृत हैं।

इसके अतिरिक्त निम्न अन्य पद स्वीकृत किये गये :-

क्र०सं०	पद	संख्या	वेतनमान
1-	उद्यान अधीक्षक	1	485-860
2-	माली	8	305-390

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा लेखा अनुभाग के लिये तीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी :-

क्र०सं०	पद	संख्या	वेतनमान
1-	एकाउन्टेन्ट	1	485-860
2-	सहायक रोकडिया	1	400-695
3-	वैयक्तिक सहायक	1	420-735

नियोजन अनुभाग हेतु प्राधिकरण द्वारा निम्न पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी :-

क्र०सं०	पद	संख्या	वेतनमान
1-	सहायक नगर नियोजक	1	850-1720
2-	मानचित्रकार	2	420-735

विधि अनुभाग हेतु भी प्राधिकरण द्वारा एक पद की स्वीकृति प्रदान की गयी:-

क्र०सं०	पद	संख्या	वेतनमान
1-	विधि सहायक	1	530-940

जनसम्पर्क अनुभाग की स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा प्रदान नहीं की गयी ।

प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष के निजी सचिव की स्वीकृति प्रदान की गयी :-

क्र०सं०	पद	संख्या	वेतनमान
1-	निजी सचिव	1	530-940

मद संख्या - 8

प्राधिकरण द्वारा आर्कीटैक्ट टाऊन प्लानिंग इंजीनियर्स को लाईसेन्स प्रदान किया जाना।

इस बिन्दु पर प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया। संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिये गये निर्णय केपरिप्रेक्ष्य में स्थिति का अध्ययन कर लिया जाये तब तक रजिस्ट्रेशन फीस वही रखी जाये जो पहले थी और छः मास के लिये उक्त लाईसेन्स पुरानी दरों पर स्वीकृत कर दिये जायें। अन्य प्राधिकरणों से भी इस सम्बन्ध में स्थिति ज्ञात कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

मद संख्या -9

भवन निर्माताओं को शमन शुल्क को किश्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान किये जाने पर विचार।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर निर्माण कर्ताओं को जिनका निर्माण अंकन रु० 30,000/- से कम हो उनको एक बर्ष की अवधि के भीतर कुल शमन शुल्क एवं विकास व्यय को बाहर मासिक किश्तों में 15 प्रतिशत ब्याज पर जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जाये।

मद संख्या - 10

शैक्षिक दातव्य एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को विकसित क्षेत्र पर लागू विकास व्यय के दायित्व से मुक्त करने का प्रस्ताव।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर प्रत्येक मामले की विस्तृत जानकारी करके प्राधिकरणकी आगामी बैठक में इस बिन्दु को रखा जाये। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक संस्था कैसी है, इन संस्थाओं हेतु क्या चन्दे और फीस आदि लिये जाते हैं, उनका व्यय किस प्रकार किया जा रहा है। प्रत्येक मामले में समस्त पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात ही निर्णय लिया जाना उचित होगा।

मद संख्या - 11

सरकारी संस्थाओं हेतु भूमि की माँग।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा इस बिन्दु पर विचार - विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि चैरीटेबिल ट्रस्ट, अस्पताल आदि प्राधिकरण की भूमि चाहते हैं तो उनको सामान्य दर के 50 प्रतिशत रेट पर भूमि दी जा सकती है परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि संस्था की प्रबन्ध समिति में जिलाधिकारी और उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी हों। विज्ञापन देकर प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये जा सकते हैं साथ ही यह प्रतिबन्ध भी लगा दिया जाये कि संस्था निर्धारित समय पर कार्य पूरा करेगी और उसके साथ जो एग्रीमेन्ट किया जाये वह भी राज्य सरकार से स्वीकृत करा लिया जाये और तत्पश्चात उक्त संस्थाओं के प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष रखे जायें। इसके अतिरिक्त इन चिकित्सालयों में दुबल आय वर्ग के 50 प्रतिशत रोगियों की नि:शुल्क चिकित्सा का भी प्राविधान किया जायेगा।

सरकारी विभागों के लिये भूमि देने में कोई आपत्ति नहीं है।

मद संख्या - 12

प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु भवन/भूखण्ड का आबंटन।

जहाँ तक प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को भवनों/भूखण्डों में सुविधा देने का प्रश्न है, प्राधिकरण के विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अन्य प्राधिकरणों से स्थिति ज्ञात कर ली जाये ताकि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनायी जाने वाली नीति अन्य प्राधिकरणों के अनुरुप हों।

मद संख्या - 13

वाहन भत्ता।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा इस बिषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया और यह निर्णय लिया गयाकि इस समय प्राधिकरण के

अधिकारियों/कर्मचारियों को जो वाहन भत्ता देय है, उसको बढाकर रु० 100/- प्रतिमाह कर दिया जाये तथा अन्य प्राधिकरणों से भी स्थिति ज्ञात कर ली जाये ।

मद संख्या - 14

विस्थापित एवं फॉरिन करेन्सी तथा एक मुश्त रुपया अदा करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों को वरीयता ।

1. प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा इस बिन्दु पर विचार - विमर्श किया गया तत्पश्चात निर्णय लिया गया कि जिन विथापितों की पर्याप्त मात्रा में भूमि अर्जित की गयी है उनको भूखण्ड आबंटन में प्राथमिकता दी जाये ।

2. विदेश अथवा भारतीय मुद्रा में एकमुश्त रुपया अदा करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी यह निर्णय लिया गया कि उनको भूखण्ड/भवन के आबंटन में वरीयता दी जाये ।

3. अनाधिकृत निर्माणों को गिराने हेतु पुलिस कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने पर विचार किया गया । प्राधिकरण के माननीय सदस्यों ने इस बिषय पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि पुलिस विभाग से निम्न स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर ले लिया जाये:-

क्र०सं०	पद	संख्या
1-	सब इन्सपैक्टर, पुलिस	1
2-	हैड कान्सटेबिल, पुलिस	1
3-	सिपाही	4

पुष्टि की गयी ।

ह०/-

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण,

मेरठ ।